This is a digitally signed gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार 19 अप्रैल, 2012/30 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 13 अप्रैल, 2012

संख्या : विद्युत–छः (5)–38/2010.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामत मुहाल काठा (ह0न0 211), तहसील बद्दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बद्दी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा–7 के उपबन्धों के अधीन

भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला–4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप धारा–1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड उक्त अधिनियम की धारा–9 की उप धारा–1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला–4 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघो में)
सोलन	बद्दी	काठा (211)	366/1	0–11
			312/1	0–07
			320/1	0–04
			157/1	0–05
			392/1	0–06
			कुल कित्ता–5	**कुल रकवा–1–13**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (विद्युत)।

————————

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 13 अप्रैल, 2012

संख्या : विद्युत–छः (5)–40 / 2010.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल भटौली खुर्द, (ह0न0 213), तहसील बद्दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आवश्यक अपेक्षित हैं। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा–7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला–4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप धारा–1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड उक्त अधिनियम की धारा–9 की उप धारा–1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला–4 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघो में)
सोलन	बद्दी	भटौली खुर्द (213)	362 / 1	0–10
			कुल कित्ता–1	**कुल रकवा–0–10**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (विद्युत)।

————————

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 13 अप्रैल, 2012

संख्या : विद्युत–छ (5)–43 / 2010.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल थाना (ह0न0 192), तहसील बद्दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा–7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला–4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप धारा–1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड उक्त अधिनियम की धारा–9 की उप धारा–1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला–4 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघो में)
सोलन	बद्दी	थाना (192)	780 / 1	0–11
			867 / 1	0–7
			कुल कित्ता–2	**कुल रकवा–0–18**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (विद्युत)।

————————

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 13 अप्रैल, 2012

संख्या : विद्युत–छ (5)–44 / 2010.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल कौन्डी (ह0न0 180), तहसील बद्दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा–7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला–4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप धारा–1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड उक्त अधिनियम की धारा–9 की उप धारा–1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला–4 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघो में)
सोलन	बद्दी	कौन्डी (180)	528 / 1	0–10
			कुल कित्ता–1	**कुल रकवा–0–10**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (विद्युत)।

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 13 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत–छः (5)–58 / 2011.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल बीड़ खास, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा–7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	रकवा (कनाल–मरले में)
हमीरपुर	सुजानपुर	बीड़ खास	312/1	03-16
			314/1	00-17
			315/1	02-07
			316	13-19
			317	11-12
			कुल कित्ता–5	**कुल रकवा–32–11**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (विद्युत)।

————————

कार्मिक विभाग (नि0–III)

अधिसूचना

शिमला–2, 18 अप्रैल, 2012

संख्या पीईआर (एपी)–सी–ए (3)–7 / 2010.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी)–सी–ए (3)–7 / 2010, तारीख 3 अगस्त, 2011 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग–III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कामिर्क विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग–III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

———————

2. **उपाबन्ध–"क" का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग वरिष्ठ सहायक, वर्ग–III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 के उपाबन्ध–"क" में

(1) स्तम्भ संख्या–10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।" ; और

(2) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"सम्बद्ध विभागों के लिपिकों / कनिष्ठ सहायकों के सामान्य लिपिकीय संवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु ऐसे समस्त पदधारी, वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए केवल तभी पात्र होंगे, यदि वे सीधी भर्ती के लिए यथाविहित 10+2 की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखते हों, या सीधी भर्ती पद के विरूद्ध लिपिक के पद पर आमेलित किए गए हों :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.––उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.––उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :––

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाडा़ गुसैणी, मठियानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ, ग्रामण, देवगढ, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ, थाच–बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त :

परन्तु जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा से सम्बन्धित परन्तुक ऐसी सेवाओं / स्थापनों / विभागें को लागू नहीं होंगे, जिनकी सेवाएं अस्थानान्तरणीय हैं और ऐसे क्षेत्रों में उनके पद नहीं है।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति केलिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा / समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।"

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा,
प्रधान सचिव (कार्मिक)।

[Authoritative English text of Government Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2010 Dated 18.04.2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL (AP-III) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th April, 2012

No. Per (AP)-C-A(3)-7/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is please to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2010 dated the 3rd August, 2011, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011

(1) For the existing provision against Col. No. 10, the following shall be substituted, namely:-

"100% by promotion." ; and

(2) For the existing provision against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:-

"By promotion from amongst the Common Clerical cadre of Clerks/Junior Assistants of concerned Departments possessing ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade :

Provided that all such incumbents will be eligible for promotion to the post of Senior Assistant, only if, they possess the minimum educational qualification of 10+2 as prescribed for direct recruits or Clerks absorbed against direct recruitment post.

A (I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso A (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso A (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso A(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gusthyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad saini, Ma and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District:

Provided that the provisos regarding essential service in the tribal/difficult areas shall not be applicable to such services/establishments/ Departments whose services are nontransferable and do not have posts in such areas.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in

Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By order,
MANISHA NANDA,
Principal Secretary (Personnel).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 18 अप्रैल, 2012

संख्याः ई0एक्स0एन0–एफ(16)3 / 1999.–इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ई0 एक्स0एन0–एफ (16)3 / 1999, तारीख 19 अक्तूबर, 2011 के क्रम में, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यात्रियों के लिए समस्त आकाशी रज्जु मार्गों के वाणिज्यिक संचालन के प्रारम्भ के पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन इस शर्त के अध्यधीन शुल्क के संदाय से पाँच वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती हैं कि अधिनियम के अधीन आकाशी रज्जु मार्ग द्वारा पहले ही प्राप्त की गई छूट की प्रसुविधा अवधि की पॉचं वर्ष की छूट की अवधि की गणना करते समय, कटौती की जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

(*Authoritative English text of this department notification No. EXN-F (16) 3/1999, dated 18/4/2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*).

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 18 April, 2012

No. EXN-F (16)3/1999.—In continuation of this department notification number EXN-F(16)3/1999, dated 19th October, 2011, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under sub-section(3) of Section 12 of the Himachal Pradesh Entertainment Duty Act,1968 (Act No. 12 of 1968) is pleased to exempt all the Aerial Ropeways for passengers

from the payment of duty under the Act ibid for a period of five years after the commencement of commercial operation subject to the condition that the benefit of the period of exemption already availed by the Aerial Ropeway under the Act, shall be deducted while calculating the period of exemption of five years.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 19 अप्रैल, 2012

संख्याः ई0एक्स0एन0–एफ(10)–1 / 2009–पार्ट.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'क', अनुसूची 'ख' और अनुसूची 'ङ' में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करती हैं और इन्हें जन साधारण की सूचना के लिए ई–गजट, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

पूर्वोक्त प्रस्ताव की बाबत, यदि संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी हितबद्ध व्यक्ति के कोई आक्षेप (पों) या सुझाव(वों) हैं, तो वह उसे / उन्हें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (पों) / सुझाव(वों), यदि कोई हों, पर सरकार द्वारा इन्हें अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्:–

प्रारूप संशोधन

1. अनुसूची 'क' के भाग–2 में क्रम संख्याः 6 की प्रविष्टि के पश्चात्, क्रम संख्या 7 पर निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगीः–

   "7. केन्द्रीय पुलिस केन्टीन द्वारा अनन्यतः उनके सेवारत और भूतपूर्व कार्मिकों को विक्रीत माल।"।

2. अनुसूची 'क' के भाग–2 क में क्रम संख्याः 115 की प्रविष्टि के पश्चात्, क्रम संख्या 116 पर निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगीः–

   "116. राज्य में अवस्थित विनिर्माताओं, दुग्ध परिसंघों और सहकारी सोसाइटियों द्वारा तैयार किए गए और विक्रीत सभी प्रकार के मिष्ठान(मिठाई) और दुग्ध उत्पाद।"।

3. अनुसूची 'ख' में क्रम संख्याः 52 की प्रविष्टि के पश्चात्, क्रम संख्या 53 पर निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगीः–

   "53. समग्र रूप से जनता द्वारा मन्दिरों और पूजा स्थलों के लिए संगमरमर से निर्मित मूर्तियां (बूत)।"।

4. अनुसूची 'ङ' निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगीः–

   (i) क्रम संख्या 1 के तृतीय स्तम्भ में "16 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर "18 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

   (ii) क्रम संख्या 2 के तृतीय स्तम्भ में "9.75 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर "11 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-1/2009-Part, dated 19th April, 2012 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 19th April, 2012

No. EXN-F (10)-1/2009-Part.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under Section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) proposes to make following amendments in Schedule 'A', Schedule 'B' and Schedule 'E' appended to the Act ibid and the same are hereby published in the e-Gazettee, Himachal Pradesh for the information of general public;

If any interested person likely to be affected has any objection(s) or suggestion(s) with regard to aforesaid proposal, he may send the same to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 within a period of ten days from the date of publication of this notification;

Objection(s)/suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the Government before finalizing the same, namely:-

DRAFT AMENDMENTS

1. After entry at Sr. No. 6 of Part-II in Schedule 'A', the following new entry at Sr. No. 7 shall be inserted:-

   "7. Goods sold by Central Police Canteens exclusively to their serving and ex-serving personnel only.".

2. After entry at Sr. No. 115 of Part-II-A in Schedule-A, the following new entry at Sr. No. 116 shall be inserted :-

   "116. All kinds of sweetmeats (mithai), milk products prepared and sold by manufacturers, milk federations and co-operative societies located in the State.".

3. After entry at Sr. No. 52 in Schedule-'B', the following new entry at Sr. No. 53 shall be inserted:-

   "53.- The idols(statues) made of marbles for temples and places of worship by public at large.".

4. The Schedule 'E' shall be amended as under:-

   (i) In the third column at Sr. No. 1 for the figures and sign "16%", the figures and sign '18%' shall be substituted.

   (ii) In the third column at Sr. No. 2 for the figures and sign "9.75%", the figures and sign "11%" shall be substituted.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

संख्याः ई एक्स एन –एफ(1)4 / 2011, तारीखः शिमला–171002, 19 अप्रैल, 2012

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सख्यांक 12) की धारा 63 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0 एफ0 (5)–4 / 2005 तारीख 2 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 7 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2)ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगें ।

प्ररुप सू.प.क.–15 का प्रतिस्थापन। 2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है), के विद्यमान प्ररुप सू.प.क. (वैट) 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थातः–

प्ररूप मू0प0क0(वैट)–15

[नियम 17(7),40(1)और 40–क देखें]

को समाप्त मास / तिमाही के लिए विवरण तारीख मास वर्ष

1. व्यौहारी की पहचान

कारबार का नाम और अभिनाम	मैसर्ज		
पता		सम्पर्क दूरभाष / मोबाईल नम्बर	
कर दाता की पहचान संख्या		आर्थिक क्रियाकलाप कोड	
आयकर अधिनियम के अधीन स्थायी लेखा संख्या			
आयकर निर्धारण का वृत और स्थानः			

2. कुल आवर्त, कुल आवर्त से कटौतियां, विक्रयों का कराधेय आवर्त और कर की संगणना ।

(अधिनियम की धाराएं 2 (य ड़) 6 और 9 देखें)

	(क) विवरण	(ख) माल का मूल्य	(ग) विवरणी से संलग्न सूचियाँ
2अ.	(1) विवरणी अवधि के दौरान विक्रीत माल के लिए प्राप्त और प्राप्य विक्रय मूल्य		
	(2) विक्रय से अन्यथा राज्य के भीतर या बाहर भेजे गए माल का मूल्य		
2आ.	कुल आवर्त [(1)+(2)]		
2इ.	**कुल आवर्त से कटौतियां [धारा 6(3)]**		
(1)	धारा 9 के अधीन कर मुक्त माल का विक्रय		एल.एस–1
(2)	अर्न्तराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय		
(3)	भारत में आयात के अनुक्रम में विक्रय		
(4)	भारत से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय		
(5)	राज्य के बाहर खरीदे माल का राज्य से बाहर विक्रय		
(6)	विक्रय के रुप में से अन्यथा भेजे गए माल का मूल्य		
	(i) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में		
	(ii) भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में		
	(iii)स्थानीय अभिकर्ताओं को (रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी) विक्रय हेतु		
(7)	कुल जोड़ (1) से (6)		

2(ई)	विक्रय का कराधेय आवर्त [2आ(ख)–2इ(7)(ख)]					
2उ.	(क) कर की दर के अनुसार 2 ई का अवशिष्ट	(ख) माल की वापसी का प्रभाव और तीव्रता में कमी (डिएसकेलेशन) एल0एम02	(ग) छूट प्राप्त इकाई से किए गए क्रयों का प्रभाव (कम क्रय मूल्यः केवल मूल्य परिवर्धन पर कर)	(घ) कुल कराधेय आवर्त [(क)–(ख) + (ग)]	(ङ) कर की दर	(च) संदत्त कर की रकम [(घ)+(ङ)]
(1)					प्रतिशत	
(2)					प्रतिशत	
(3)					प्रतिशत	
(4)					प्रतिशत	
(5)					प्रतिशत	
(6)	कुल कर रकम					

3.माल का क्रय आयात और प्राप्ति तथा राज्य में किए गए क्रयों पर संदत्त कर की रकम की संगणना

3 अ	(क) विवरण	(ख) विवरणी से संलग्न सूची	(ग) रकम
	कुल कीमत / माल का मूल्य,...		
(1) (क)	कर बीजक पर राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से किया गया क्रय ।	एल0पी0–।	
(ख)	आगत कर प्रत्यय के लिए वांछनीय पूँजी माल की कुल कीमत / मूल्य ।		
(2)	कर बीजक के बिना अन्य व्यौहारियों से किया गया क्रय		
(3)	अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किया गया क्रय		
(4)	भारत में आयात के अनुक्रम में किया गया क्रय		
(5)	भारत से बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया गया क्रय		
(6)	राज्य के भीतर आयातित		
(7)	राज्य से बाहर, विक्रय के लिए राज्य से बाहर किया गया क्रय		
(8)	राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से विक्रय के लिए प्राप्त		
(9)	राज्य से बाहर व्यौहारियों से विक्रय के लिए प्राप्त		
(10)	कुल [(1) से (9)]		

3 आ	(क) कर की दर के अनुसार 3 अ(1)(क)+ 3 अ (1) (ख) का अवशिष्ट	(ख) वापसी माल और कीमत का प्रभाव (एल.पी.2)	(ग) कुल कराधेय क्रय [(क)–(ख)]	(घ) कर की दर	(ङ) संदत्त कर की रकम [(ग) X (घ)]
(1)				प्रतिशत	

(2)				प्रतिशत	
(3)				प्रतिशत	
(4)				प्रतिशत	
(5)	क्रयों पर संदत्त कुल कर की रकम				

4. विक्रय या क्रयों पर उद्ग्रहीत कुल कर

(1)	विक्रयों पर कर [2 उ (च)]	
(2)	क्रय कर [।।(4) (घ)]	
(3)	**कुल कर [4(1) + 4(2)]**	

5. आगत कर प्रत्यय की संगणना (धारा– ।। देखें)

(1)	अविक्रीत स्टॉक पर प्रारम्भिक आगत कर प्रत्यय (धारा)11 (1) (i) देखें)	
(2)	पूंजी माल पर प्रारम्भिक आगत कर प्रत्यय	
(3)	राज्य में किए गए क्रयों पर संदत कर [3 आ (ड़)]	
(4)	कुल [5(1) + 5(2) + 5(3)]	
(5)	कम संदत्त कर, जो आगत कर का भाग नहीं हो [10 इ (3)]	
(6)	दावा योग्य आगत कर [5(4)-5(5)]	
(7)	कम संदत्त कर, परन्तु अविक्रीत स्टॉक में अतंर्वलित धारा [11(1) (i) देखें)]	
(8)	आगामी अवधि के लिए अग्रेषित किया जाने वाले पूंजी माल पर कम संदत्त कर, (धारा ।। (6) देखें)	
(9)	आगत कर प्रत्यय [5 (6)– 5 (7)–5 (8)]	
(10)	अग्रेषित किया जाने वाले अविक्रीत स्टॉक पर आगत कर । [5 (7)]	
(11)	अग्रेषित किया जाने वाले पूंजी माल पर आगत कर । [5(8)]	

6. संदेय या समायोज्य कर (धारा– 12 देखें)

(1)	कुल संदेय कर [4 (3)– 5 (9)]	
(2)	कम : अन्तिम विवरणी से अग्रनीत अधिक संदत	
(3)	संदेय कर [6 (1)– 6 (2)]	
यदि किसी आस्थगन / छूट स्कीम के अन्तर्गत आता है (हाँ / नहीं)		हाँ / नहीं
यदि हाँ, तो अधिसूचना संख्या जिस पर ऐसे आस्थगन / छूट के लिए दावा किया जाना आधारित हैं		
हकदारी प्रमाण पत्र संख्या:		
प्राप्य वर्ष ।		
उपरोक्त हकदारी प्रमाण पत्र के अनुसार संदाय के लिए अपेक्षित कुल कर दायित्व की रकम का प्रतिशत		
उपरोक्त हकदारी प्रमाण पत्र के अनुसार अग्रिम संदाय के लिए अपेक्षित कुल कर दायित्व की रकम का प्रतिशत		
उपरोक्त हकदारी प्रमाण पत्र के अनुसार कुल कर दायित्व की रकम का प्रतिशत		
उपरोक्त हकदारी प्रमाण पत्र के अनुसार कुल कर दायित्व में की गई छूट की रकम का प्रतिशत		
(क)	उपरोक्त स्कीम के अनुसार चालू अवधि के लिए संदाय हेतु देय कुल कर दायित्व की कुल रकम	
(ख)	उपरोक्त स्कीम के अनुसार पूर्ववर्ती अवधि में पहले से आस्थगित कर में से इस विवरणी अवधि में संदाय हेतु देय कुल कर दायित्व की कुल रकम	
(4)	उपरोक्त स्कीम (क+ख) के अनुसार इस विवरणी अवधि में संदाय के लिए देय कुल कर दायित्व की कुल रकम	
(i)	उपरोक्त स्कीम के अनुसार उस तारीख तक आस्थगित कुल कर दायित्व की कुल रकम का आरम्भिक अतिशेष	
(ii)	इस विवरणी अवधि में आस्थगित कर की कुल रकम के आरम्भिक अतिशेष में से संदत्त कुल कर दायित्व	
(iii)	चालू अवधि के लिए आस्थगित कुल कर दायित्व की कुल रकम	
आगामी अवधि के लिए आस्थगित कुल कर दायित्व की कुल रकम (i-ii+iii)		
(5)	शुद्ध संदेय कर(किसी आस्थगित / छूट स्कीम के अन्तर्गत नहीं आने वाले व्यौहारियों के लिए) [6 (3)]	
(6)	शुद्ध संदेय कर (आस्थगित / छूट स्कीम के अन्तर्गत आने वाले व्यौहारियों के लिए) [6 (4)]	
(7)	धारा 12 (2) के अधीन समायोजित आगत कर प्रत्यय की रकम	
(8)	धारा 12 (3) के अधीन समायोजित आगत कर प्रत्यय की रकम	
(9)	उपरोक्त (7) और / या (8) के पश्चात् अधिक अग्रनीत ।	

तारीख: [प्राधिकृत्त व्यक्ति के हस्ताक्षर]

7. जमा किए गए कर के ब्यौरेः

क्रम संख्या	खजाने का नाम, जहाँ पर कर जमा किया गया है या बैंक जिससे मांगदेय ड्राफ्ट / संदाय आदेश / क्रास चैक लिखा है / आर0ए0ओ0		खजाना रसीद			कार्यालय उपयोग हेतु	
	खजाना / बैंक	लिखत की किस्म	संख्या	तारीख	रकम	डी.सी. आर. संख्या	तारीख
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							
(6)							
(7)	.....(संविदाकार द्वारा)						
(8)	कुल [(1) से (7)]						

8. सरकारी प्राधिकार के अधीन मुद्रित प्ररूपों का लेखा , निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना अपेक्षित है ।

क्रम संख्या	प्ररूप की किस्म	विवरणी अवधि के आरम्भ में प्रारम्भिक स्टॉक	विवरणी अवधि के दौरान खाली प्राप्त या अधिप्रमाणित प्ररूप	विवरणी अवधि के दौरान उपयोग में लाए गए प्ररूपों की संख्या	संव्यवहार जिसके लिए प्ररूप उपयोग किए गए हैं, की कुल रकम
(1)					
(2)	विक्रय कर 26–अ(बाहर)				
(3)	वैट				
(4)	इ				
(5)	उ–1				
(6)	उ– । ।				
(7)	ऊ				
(8)	ऐ				

9. अन्य व्यौहारियों से प्राप्त विवरणी के साथ दी गई कानूनी घोषणाएं और प्रमाणपत्र

क्रम संख्या	प्ररूप की किस्म	दिए गए प्ररूपों की संख्या	संव्यवहारों जिनके लिए प्ररूप दिए गए हैं, की कुल रकम		क्रम संख्या	प्ररूप की किस्म	दिए गए प्ररूपों की संख्या	सव्यवहारों की कुल रकम जिनके लिए प्ररूप दिए गए हैं
(1)	विक्रय कर 26–अ (बाहर)				(5)	उ–1		
(2)	वैट				(6)	उ–11		
(3)	इ				(7)	ऊ		
(4)	ई				(8)	ऐ		

10. कर बीजक पर रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से राज्य में क्रय किए गए माल की बाबत संदत्त कर की संगणना, परन्तु जो आगत कर प्रत्यय का भाग नहीं बनेगा (धारा 11 देखें)

कतिपय माल के क्रय की बाबत जिन परिस्थितियों में कर संदत्त किया गया है, आगत कर प्रत्यय का भाग नहीं बनेगा	क्रय मूल्य
(क)	(ख)
अ. कर बीजक पर रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से यथा क्रय किया गया वर्णित के सिवाए, समस्त माल जब,–	
(1) दूर–संचार नेटवक्र, या विधुत उत्पादन और वितरण या विधुत (पावर) के अन्य रूप में उपयोग की गई हो,	
(2) उनके क्रय पर कर 4 प्रतिशत की दर या कम दर पर संदत्त किया गया हो, परन्तु ऐसा माल विक्रय के रूप में से अन्यथा व्ययनित किया गया है और	
(3) धारा 9 के अधीन कर मुक्त घोषित माल के बनाने या पैक करने में उपयोग किया गया हो (सिवाए तबके जब ऐसा, माल भारत से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रीत किया हो)	
(4) कारबार के बंद करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रददकरण के दिन, चाहे क्रय किए गए रूप में या विनिर्मित या प्रसंस्कृत रूप में , स्टॉक में छोड़ा गया हो	
(5) धारा 11 (7) (ग) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में बनाए गए	
(6) धारा 11 (7) (घ) और (ड़) के अन्तर्गत आने वाले	
(7) धारा 11 (7) (ञ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया	
(8) कर बीजक उपलब्ध नहीं है या जारी नहीं किया गया है या जारी किया गया मूल कर बीजक, प्रभारित कर के पृथक ब्यौरे नहीं दर्शा रहा है	
(9) कर रियायती दर देय करने के पश्चात् किसी औधोगिक इकाई से किया गया क्रय	
(10) धारा 11(8) के अधीन यथा उपबन्धित आगत कर निर्बधित माल की अनुसूची के अन्तर्गत ।	
(11) अन्य क्रयों, जिनकी बाबत कर संदत्त किया गया है, आगत कर प्रत्यय का भाग नहीं है	
आ. कुल जोड़ [(1) से (।।)]	

इ. विभिन्न दरों पर आगत कर की संगणना	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	कुल जोड़ (ग) से (छ) (ज)
(1) कर दर के अनुसार अ (ख) का अवशिष्ट						
(2) कर की दर	%	%	%	%	%	
(3) आगत कर का आरक्षित रखा जाना [(1) x (2)]						

टिप्पणः— जहां राज्य में क्रय किए गए किसी माल का उपयोग किया जाता है या उपरोक्त प्रविष्टि अ के विरूद्ध स्तम्भ (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में भागतः और अन्यथा व्ययन किया जाता है, तो ऐसे माल के क्रय मूल्य की संगणना अनुपाततः की जाएगी ।

11. क्रय कर (धारा 6 (1) (ख) और 8 देखें)

परिस्थितियां जिन में क्रय कर उदगृहीत किया गया		विभिन्न दरों पर कराधेय माल का क्रय मूल्य		कर की दर	क्रय कर
(क)		(ख)		(ग)	(घ)
(1)	अधिनियम की अनुसूची 'इ' में विनिर्दिष्ट माल का आवर्त				
(2)	राज्य में बिना कर के संदाय के क्रय किए गए कराधेय माल का आवर्त, जब ऐसा माल या उससे विनिर्मित माल या तो राज्य से बाहर निर्यात किया गया है या (सिवाए तब के जब भारत के बाहर से निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया गया है) इस प्रकार से उपयोग या व्ययनित किया गया है कि राज्य को कोई कर या केन्द्रीय विक्रय कर देय नहीं है	(i)			
		(ii)			
(3)	कुल (1) + (2)				

टिप्पणः जहां राज्य में क्रय किए गए किसी माल का उपयोग किया जाता है या उपरोक्त क्रम संख्या (2) की प्रविष्टि के विरूद्ध स्तम्भ (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में भागतः और अन्यथा व्ययन किया जाता है, तो ऐसे माल पर उदगृहीत क्रय कर की संगणना अनुपाततः की जाएगी ।

12. प्रवेश कर

क्रम संख्या	अनुसूची 2 के अनुसार माल	माल का मूल्य	कर की दर	देय प्रवेश कर	टी0 आर0 संख्या और तारीख सहित संदत्त प्रवेश कर	विवरणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			

टिप्पणः स्थानीय क्षेत्र में लाए गए माल के पक्ष–वार ब्यौरे, विवरणी के साथ पृथकतः संलग्न हैं ।

घोषणाः

मैं ———————————— एतद्द्वारा सत्य निष्टा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मुझे इस विवरणी को देने के लिए प्राधिकृत्त किया गया है और सारणी 10 और 11 सहित इसकी समस्त विषय–वस्तु सूचियॉं, विवरणियॉं, घोषणाऍं, प्रमाण पत्र और इससे संलग्न या इसके साथ प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेज सत्य, सही और पूर्ण हैं तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

स्थानः

तारीखः

[हस्ताक्षर]

हैसियतः आवेदन पर निशान (✓) [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान सचिव, प्रबन्धक, अधिकारी]

(निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय प्रयोग के लिए)

(1) वैट रजिस्ट्रर/कम्पयूटर में आंकड़े दजे करने की तारीख:

(2) आंकड़ा दर्ज करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर (नाम और पदनाम की मोहर लगाए)

(3) निर्धारण प्राधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर :–

---

1. विवरणी में अधिनियम की धाराओं या अनुसूचियों का सन्दर्भ संकेत सूचक हैं और व्यापक नहीं है ।

2. व्यौहारी, जिसने, कर अवधि के दौरान सारणी 10 या 11 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में माल का संव्यवहार नहीं किया है, को विवरणी का अगला पृष्ठ भरने की आवश्यकता नहीं है ।

अभिस्वीकृति

मैंसर्ज ———————————————— से टी0 आई0 एन0 प्ररूप———————— मू0प0क0 (वैट) 15 में ——————————में समाप्त होने वाले मास/तिमाही के लिए, प्ररूप एल0एस0–2 में सूची के साथ विवरणी प्राप्त हुई हैं ।

निर्धारण प्राधिकारी
आबकारी एवं कराधान निरीक्षक,
(जब जिला मुख्यालय से बाहर वृत में तैनात हों)
——————वृत, जिला ————————।
मोहर

तारीख :–

प्ररूप मु0प0क0(वैट)–15–अ

प्रतिस्थापन :–

3. उक्त नियमों के प्ररूप मू0प0क0 (वैट)15–अ का के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा;

अर्थात् :–

प्ररूप मू.प.क. वैट–15–अ

(नियम–40 (5) और 40–अ देखें)

.....को समाप्त मास / तमाही के लिए विवरण तारीख मास वर्ष

1. व्यौहारी की पहचान

कारबार का नाम और अभिनाम	मैसर्ज		
पता		सम्पर्क संख्या	
कर देने वाले की पहचान संख्या		आर्थिक क्रियाकलाप कोड	
आयकर अधिनियम के अधीन स्थायी लेखा संख्या			
आयकर निर्धारण का वृत और स्थान:			

2. कुल आवर्त, विक्रय के कुल आवर्त कराधेय आवर्त से कटौती और कर की संगणना । (अधिनियम की धाराएं 2 (य ड़) 6 और 9 देखें)

	(क) विवरण	(ख) माल का मूल्य	(ग) विवरणी से संलग्न सूचियाँ
2अ.	(1) विवरणी अवधि के दौरान विक्रीत माल के लिए प्राप्त और प्राप्य विक्रय मूल्य		
	(2) विक्रय से अन्यथा राज्य के भीतर या बाहर भेजे गए माल का मूल्य		
2आ.	सकल आवर्त [(1)+(2)]		
2इ.	सकल आवर्त से कटौती [धारा 6(3)]		
(1)	धारा 9 के अधीन कर मुक्त माल का विक्रय		एल.एस–1
(2)	अर्न्तराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय		
(3)	भारत में आयात के अनुक्रम में विक्रय		
(4)	भारत से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय		
(5)	राज्य के बाहर से क्रय किए गए माल का राज्य से बाहर विक्रय		
(6)	विक्रय से अन्यथा भेजे गए माल का मूल्य		

	(i) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम मे		
	(ii) भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में		
	(iii) विक्रय के लिए स्थानीय अभिकर्ताओं (रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों) को		
(7)	(1) से (6) का कुल जोड		

2(ई)	विक्रयों का कराधेय आवर्त **[2आ(ख)–2इ(7)(ख)]**					
2उ.	(क) कर की दर के अनुसार 2 ई का अवशिष्ट	(ख) माल की वापसी का प्रभाव और तीव्रता में कमी (डिएसकेलेशन) (एल0एस0–2)	(ग) छूट प्राप्त इकाई से किए गए क्रयों का प्रभाव (कम क्रय मूल्य: केवल मूल्य परिवर्धन पर कर)	(घ) कुल कराधेय आवर्त [(क)–(ख) + (ग)]	(ड) कर की दर	(च) संदत्त कर की रकम [(घ)X(ड)]
(1)					प्रतिशत	
(2)					प्रतिशत	
(3)					प्रतिशत	
(4)					प्रतिशत	
(5)					प्रतिशत	
(6)	कुल कर रकम					

3. माल का क्रय आयात और प्राप्ति और राज्य में किए गए क्रयों पर संदत्त कर की रकम की संगणना

3 अ	(क) विवरण	(ख) विवरणी से संलग्न सूची	(ग) रकम
	कुल कीमत / माल का मूल्य,		
(1) (क)	कर बीजक पर राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से किया गया क्रय (आगत)	एल0पी0–।	
(1) (ख)	कर प्रत्यय के लिए वांछनीय पूँजी माल का मूल्य / कुल कीमत		
(2)	कर बीजक के बिना अन्य व्यौहारियों से किया गया क्रय		
(3)	अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किया गया क्रय		
(4)	भारत में आयात के अनुक्रम में किया गया क्रय		
(5)	भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया गया क्रय		
(6)	राज्य में आयातित		
(7)	राज्य से बाहर, विक्रय के लिए राज्य से बाहर किया गया क्रय		

(8)	राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से विक्रय हेतु प्राप्त		
(9)	राज्य के बाहर व्यौहारियों से विक्रय हेतु प्राप्त		
(10)	कुल **[(1) से (9)]**		

3 आ	(क) कर की दर के अनुसार 3 अ(1)(क)+ 3 अ (1) (ख) का अवशिष्ट	(ख) वापसी माल का प्रभाव और उसकी कीमत (एल.पी.2)	(ग) कुल कराधेय क्रय [(क)–(ख)]	(घ) कर की दर	(ङ) संदत्त कर की रकम [(ग) X (घ)]
(1)				प्रतिशत	
(2)				प्रतिशत	
(3)				प्रतिशत	
(4)				प्रतिशत	
(5)	क्रयों पर संदत्त कुल कर की रकम				

4. विक्रयों या क्रयों पर उद्ग्रहीत करों का योग (कुल)

(1)	विक्रय पर कर [2 उ (च)]	
(2)	क्रय कर [।।(4) (घ)]	
(3)	**कुल कर [4(1) + 4(2)]**	

5. आगत कर प्रत्यय की संगणना (धारा–।। देखें)

(1)	अविक्रीत स्टॉक पर प्रारम्भिक आगत कर प्रत्यय (धारा)11 (1) (i) देखें)	
(2)	पूंजी माल पर प्रारम्भिक आगत कर प्रत्यय	
(3)	राज्य में किए गए क्रयों पर संदत्त कर [3 आ (ड़)]	
(4)	कुल [5(1) + 5(2) + 5(3)]	
(5)	कम संदत्त कर, जो आगत कर का भाग नहीं हो [10 इ (3)]	
(6)	दावा योग्य आगत कर [5(4)-5(5)]	
(7)	कम संदत्त कर, परन्तु अविक्रीत स्टॉक में अतर्वलित धारा [11(1) (i) देखें)]	
(8)	आगामी अवधि के लिए अग्रेषित किया जाने वाले पूंजी माल पर कम संदत्त कर (धारा ।। (6) देखें)	
(9)	आगत कर प्रत्यय [5 (6)– 5 (7)–5 (8)]	
(10)	अग्रेषित किया जाने वाले अविक्रीत स्टॉक पर आगत कर । [5 (7)]	
(11)	अग्रेषित किया जाने वाले पूंजी माल पर आगत कर । [5(8)]	

6. संदेय या समायोज्य कर (धारा– 12 देखें)

(1)	कुल संदेय कर [4 (3)– 5 (9)]	
(2)	कम : अन्तिम विवरणी से अग्रनीत अधिक संदत	
(3)	संदेय कर [6 (1)– 6 (2)]	
यदि किसी आस्थगन / छूट स्कीम के अन्तर्गत आता है (हाँ / नहीं)		हाँ / नहीं
यदि हाँ, तो अधिसूचना संख्या जिस पर ऐसे आस्थगन / छूट के लिए दावा किया जाना आधारित हैं		
हकदारी प्रमाण पत्र संख्या:		
प्राप्य वर्ष ।		
उपरोक्त हकदारी प्रमाण पत्र के अनुसार संदाय के लिए अपेक्षित कुल कर दायित्व की रकम का प्रतिशत		
उपरोक्त हकदारी प्रमाण पत्र के अनुसार अग्रिम संदाय के लिए अपेक्षित कुल कर दायित्व की रकम का प्रतिशत		
उपरोक्त हकदारी प्रमाण पत्र के अनुसार आस्थगित कुल कर दायित्व की रकम का प्रतिशत		
उपरोक्त हकदारी प्रमाण पत्र के अनुसार कुल कर दायित्व में की गई छूट की रकम का प्रतिशत		
(क)	उपरोक्त स्कीम के अनुसार चालू अवधि के लिए संदाय हेतु देय कुल कर दायित्व की कुल रकम	
(ख)	उपरोक्त स्कीम के अनुसार पूर्ववर्ती अवधि में पहले से आस्थगित कर में से इस विवरणी अवधि में संदाय हेतु देय कुल कर दायित्व की कुल रकम	
(4)	उपरोक्त स्कीम के अनुसार इस विवरणी अवधि में संदाय के लिए देय कुल कर दायित्व की कुल रकम	
(i)	उपरोक्त स्कीम के अनुसार उस तारीख तक आस्थगित कुल कर दायित्व की कुल रकम का आरम्भिक अतिशेष	
(ii)	इस विवरणी अवधि में आस्थगित कर की कुल रकम के आरम्भिक अतिशेष में से संदत्त कुल कर दायित्व	
(iii)	चालू अवधि के लिए आस्थगित कुल कर दायित्व की कुल रकम	
आगामी अवधि के लिए आस्थगित कुल कर दायित्व की कुल रकम (i-ii+iii)		
(5)	शुद्ध संदेय कर (किसी आस्थगित / छूट स्कीम के अन्तर्गत नही आने वाले व्यौहारियो के लिए) [6 (3)]	
(6)	शुद्ध संदेय कर (आस्थगित / छूट स्कीम के अन्तर्गत आने वाले व्यौहारियों के लिए [6 (4)]	
(7)	धारा 12 (2) के अधीन समायोजित आगत कर प्रत्यय की रकम	
(8)	धारा 12 (3) के अधीन समायोजित आगत कर प्रत्यय की रकम	
(9)	उपरोक्त (7) और / या (8) के पश्चात् अधिक अग्रनीत ।	

तारीख: [प्राधिकृत्त व्यक्ति के हस्ताक्षर]

7. जमा किए गए कर के ब्यौरेः

क्रम संख्या	खजाने का नाम, जहाँ पर कर जमा किया गया है या बैंक जिससे मांगदेय ड्राफ्ट / संदाय आदेश / क्रास चैक ड्रा किया है / आर0ए0ओ0		खजाना रसीद			कार्यालय उपयोग हेतु	
	खजाना / बैंक	लिखत की किस्म	संख्या	तारीख	रकम	डी.सी. आर. संख्या	तारीख
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							
(6)							
(7)	.....(संविदाकार द्वारा)						
(8)	कुल [(1) से (7)]						

8. सरकारी प्राधिकार के अधीन मुद्रित प्ररूपों का लेखा , निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना अपेक्षित है ।

क्रम संख्या	प्ररूप की किस्म	विवरणी अवधि के आरम्भ में प्रारम्भिक स्टॉक	विवरणी अवधि के दौरान खाली प्राप्त या अधिप्रमाणित प्ररूप	विवरणी अवधि के दौरान उपयोग में लाए गए प्ररूपों की संख्या	संव्यवहार जिसके लिए प्ररूप उपयोग किए गए हैं, की कुल रकम
(1)					
(2)	विक्रय कर 26–अ(वाहर)				
(3)	वैट				
(4)	इ				
(5)	उ–1				
(6)	उ– । ।				
(7)	ऊ				
(8)	ऐ				

9. अन्य व्यौहारियों से प्राप्त विवरणी के साथ दी गई कानूनी घोषणा और प्रमाणपत्र

क्रम संख्या	प्ररूप की किस्म	दिए गए प्ररूपों की संख्या	संव्यवहारो की कुल रकम जिसके लिए प्ररूप दिए गए हैं		क्रम संख्या	प्ररूप की किस्म	दिए गए प्ररूपों की संख्या	सव्यवहारो की कुल रकम जिसके लिए प्ररूप दिए गए हैं
(1)	विक्रय कर 26–अ				(5)	उ–1		

	(बाहर)							
(2)	मू.प.क.(वैट)				(6)	उ–11		
(3)	इ				(7)	ऊ		
(4)	ई				(8)	ऐ		

10. कर बीजक पर रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से राज्य में क्रय किए गए माल की बाबत संदत्त कर की संगणना, परन्तु जो आगत कर प्रत्यय का भाग नहीं बनेगा (धारा 11 देखें)

कतिपय माल के क्रय की बाबत जिन परिस्थितियों में कर संदत्त किया गया है, आगत कर प्रत्यय का भाग नहीं बनेगा	क्रय मूल्य
(क)	(ख)
अ. कर बीजक पर रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से यथा क्रय किया गया वर्णित के सिवाए, समस्त माल जब,–	
(1) दूर–संचार नेटवर्क, या विद्युत उत्पादन और वितरण या विद्युत (पावर) के अन्य रूप में उपयोग किया गया हो,	
(2) उनके क्रय पर कर 4 प्रतिशत की दर या कम दर पर संदत्त किया गया हो, परन्तु ऐसा माल विक्रय के रूप में से अन्यथा व्ययनित किया गया हो और (3) धारा 9 के अधीन कर मुक्त घोषित माल के बनाने या पैक करने में उपयोग किया गया हो (सिवाए तबके जब ऐसा, माल भारत से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रीत किया हो)	
(4) कारबार के बंद करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्दकरण के दिन, चाहे क्रय किए गए रूप में या विनिर्मित या प्रसंस्कृत रूप में , स्टॉक में छोड़ा गया हो	
(5) धारा 11 (7) (ग) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में बनाए गए	
(6) धारा 11 (7) (घ) और (ड़) के अन्तर्गत आने वाले	
(7) धारा 11 (7) (ञ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया	
(8) कर बीजक उपलब्ध नहीं है या जारी नहीं किया गया है या जारी किया गया मूल कर बीजक, प्रभारित कर के पृथक ब्यौरे नहीं दर्शा रहा है	
(9) रियायती कर की दर देय(संदाय) के पश्चात् किसी औद्योगिक इकाई से किया गया क्रय	
(10) धारा 11(8) के अधीन यथा उपबन्धित आगत कर निर्बंधित माल की अनुसूची के अन्तर्गत आने वाला	
(11) अन्य क्रयों, जिनकी बाबत कर संदत्त किया गया है, आगत कर प्रत्यय का भाग नहीं बनेगा ।	
आ. कुल जोड़ [(1) से (11)]	

इ. विभिन्न दरों पर आगत कर की संगणना	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	कुल जोड़ (ग) से (छ) (ज)
(1) कर दर के अनुसार अ (ख) का अवशिष्ट						
(2) कर की दर	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	
(3) आगत कर का आरक्षित रखा जाना [(1) x (2)]						

टिप्पणः– जहां राज्य में क्रय किए गए किसी माल का उपयोग किया जाता है या उपरोक्त प्रविष्टि अ

के विरूद्ध स्तम्भ (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में भागतः और अन्यथा व्ययन किया जाता है, तो ऐसे माल के क्रय मूल्य की संगणना अनुपाततः की जाएगी ।

11. क्रय कर (धारा 6 (1) (ख) और 8 देखें)

परिस्थितियां जिन में क्रय कर उदगृहीत किया गया		विभिन्न दरों पर कराधेय माल का क्रय मूल्य		कर की दर	क्रय कर
(क)		(ख)		(ग)	(घ)
(1)	अधिनियम की अनुसूची 'इ' में विनिर्दिष्ट माल का आवर्त				
(2)	राज्य में बिना कर के संदाय के क्रय किए गए कराधेय माल का आवर्त, जब ऐसा माल या उससे विनिर्मित माल या तो राज्य से बाहर निर्यात किया गया है या सिवाए तब के जब भारत के बाहर से निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया गया है इस प्रकार से उपयोग या व्ययनित किया गया है कि राज्य को कोई कर या केन्द्रीय विक्रय कर देय नहीं है	(i)			
		(ii)			
(3)	कुल {(1) +(2)}				

टिप्पणः जहां राज्य में क्रय किए गए किसी माल का उपयोग किया जाता है या उपरोक्त क्रम संख्या (2) की प्रविष्टि के विरूद्ध स्तम्भ (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में भागतः और अन्यथा व्ययन किया जाता है, तो ऐसे माल पर उदगृहीत क्रय कर की संगणना अनुपाततः की जाएगी ।

12. प्रवेश कर

क्रम संख्या	अनुसूची 2 के अनुसार माल	माल का मूल्य	कर की दर	देय प्रवेश कर	टी0 आर0 संख्या व तारीख सहित संदत्त प्रवेश कर	विवरणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			

टिप्पणः स्थानीय क्षेत्र में लाए गए माल के पक्ष–वार(पार्टी) ब्यौरे, विवरणी के साथ पृथकतः से संलग्न हैं ।

घोषणा:

मैं ——————————————(नाम बड़े अक्षरों में) एतद्द्वारा सत्य निष्टा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मुझे इस विवरणी को देने के लिए प्राधिकृत्त किया गया है और सारणी 10 और 11 सहित, इसकी समस्त विषय–वस्तु सूचियॉ, विवरणियॉ, घोषणाऍं, प्रमाण पत्र और इससे संलग्न या इसके साथ प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेज सत्य, सही और पूर्ण हैं तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

स्थान:

तारीख:

[हस्ताक्षर]

हैसियत: आवेदन पर निशान (✓) [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अधिकारी]

———————————————————————————————————

(निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय प्रयोग में उपयोग हेतु)

(1) वैट रजिस्ट्रर / कम्पयूटर में आंकड़े (डाटा) दर्ज करने की तारीख:

(2) आंकड़ा (डाटा) दर्ज करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर (नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)

(3) निर्धारण प्राधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर :–

———————————————————————————————————

1. विवरणी में अधिनियम की धाराओं या अनुसूचियों का सन्दर्भ संकेत सूचक हैं और व्यापक नहीं है ।

2. व्यौहारी, जिसने, कर अवधि के दौरान सारणी 10 या 11 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में माल का संव्यवहार नहीं किया है, को विवरणी का अगला पृष्ठ भरने की आवश्यकता नहीं है ।

———————————————————————————————————

अभिस्वीकृत्ति

मैंसर्ज ———————————— से टी0 आई0 एन0 प्ररूप———————— सू0प0क0 (वैट) 15–अ में ———————— समाप्त होने वाले मास / तिमाही के लिए, प्ररूप एल0एस0–2 में सूची के साथ विवरणी प्राप्त हुई हैं ।

निर्धारण प्राधिकारी
आबकारी एवं कराधान निरीक्षक,
(जब जिला मुख्यालय से बाहर वृत में तैनात हों)
————वृत, जिला ————————।
मोहर

तारीख :–

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Authoritative English text of this department notification No. EXN-F(1)-4/2011, dated 19th April, 2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Excise and Taxation Department

NOTIFICATION

No.EXN-F(1)-4/2011, Dated: Shimla-171002 19th April, 2012

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, notified by this department notification no. EXN-F(5)-4/2005 dated 2nd December, 2005 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (extra ordinary) dated 7th December, 2005, namely:-

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Substitution of Form- VAT-XV

2. In the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules) for the existing Form VAT-XV, the following shall be substituted, namely:-

" Form VAT-XV

[See rule 17(7), 40 (1) and 40-A]

RETURN FOR THE MONTH/ QUARTER ENDED ON:

D	D	- M	M	- Y	Y		

1. Dealer's identity

Name and style of business	M/s		
Address		Contact No.	
Tax Payer's Identification Number		Economic Activity Code	
Permanent Account Number under Income Tax Act			
Place and circle of Income Tax Assessment:			

2. Gross turnover, deductions from gross turnover taxable turnover of sales and computation of tax (See sections 2(ze), 6 and 9 of the Act)

	(a) Description	(b) Value of goods	(c) Lists appended to the return
2A.	(1) Sale price received and receivable for goods sold during return period:		
	(2) Value of goods sent within or outside the State otherwise than by way of sale:		
2B.	**Gross turnover [(1) +(2)]**		
2C.	**Deductions from Gross Turnover [section 6(3)]**		
(1)	Sale of tax-free goods under section 9		LS-1
(2)	Sale in the course of inter-State trade or commerce		
(3)	Sale in the course of import into India		
(4)	Sale in the course of export out of India		
(5)	Sales outside the State of goods purchased outside the State		
(6)	Value of goods sent otherwise than by way of sale : -		
	(i) in the course of *inter-State* trade or commerce		
	(ii) in the course of export out the territory of India		
	(iii) to local agents (registered dealers) for sale		
(7)	Total of (1) to (6)		
2D.	**Taxable turnover of sales [2B(b)-2C(7)(b)]**		

2E.	(a) Break-up of 2D according to rate of tax	(b) Effect of return goods and (de-)/escalation [LS-2]	(c) Effect of Purchases made from Exempted Unit (Less Purchase Value : Tax on Value Addition only)	(d) Net taxable turnover [(a)-{(b)+(c)}]	(e) Rate of tax	(f) Amount of Tax Paid [(d) x (e)]
(1)					%	
(2)					%	
(3)					%	
(4)					%	
(5)					%	
(6)	Total Tax Amount					

3. Purchase, import and receipt of goods and computation of amount of tax paid on purchases made in the State

3A.	(a) Description Aggregate price/ value of goods, --	(b) List Appended to return	(c) Amount	
(1)(a)	Purchased from registered dealers in the State on tax invoice	LP-1		
(1)(b)	Aggregate price/value of capital goods eligible for input tax credit			
(2)	Purchased from other dealers without tax invoice			
(3)	Purchased in the course of *inter*-State trade or commerce			
(4)	Purchased in the course of import into India			
(5)	Purchased in the course export out of India			
(6)	Imported into the State			
(7)	Purchased outside the State for sales outside			
(8)	Received for sale from dealers registered in the State			
(9)	Received for sale from dealers outside the State			
(10)	**Total [(1) to (9)]**			

3B.	(a) Break-up of 3A(1)(a) +3A(1)(b) according to rate of tax	(b) Effect of return goods and of price [LP-2]	(c) Net taxable purchases [(a)-(b)]	(d) Rate of tax	(e) Amount of Tax Paid [(c) x (d)]
(1)				%	
(2)				%	
(3)				%	
(4)				%	
(5)	Total amount of tax paid on purchases				

4. Aggregate of tax levied on sale or purchases

(1)	Tax on Sales [2E(f)]	
(2)	Purchase Tax [11(4)(d)]	
(3)	**Total tax [4(1) + 4(2)]**	

5. Computation of Input tax credit (See-section 11)

(1)	Opening Input Tax Credit on unsold stock[See Section 11(1)(i)]	
(2)	Opening Input Tax Credit on Capital Goods	
(3)	Tax Paid on purchases made in the State[3B(e)]	
(4)	Total [5(1)+5(2)+5(3)]	
(5)	Less Tax Paid, not part of input tax[10C(3)]	
(6)	Claimable Input Tax [5(4)-5(5)]	
(7)	Less Tax Paid but involved in unsold stock[See Section 11(1)(i)]	
(8)	Less Tax Paid on capital goods, to be carried forward to future periods[See Section 11(6)]	
(9)	Input Tax Credit [5(6)-5(7)-5(8)]	
(10)	Input Tax on Unsold Stock Carried Forward [5(7)]	
(11)	Input Tax on Capital Goods Carried Forward [5(8)]	

6. Tax payable or adjustable (See section 12)

(1)	Gross Tax Payable[4(3)-5(9)]	
(2)	Less: Excess paid brought forward from last return	
(3)	Tax Payable [6(1)-6(2)]	
If Covered under any Deferment/Exemption Scheme(Yes/No)		Yes/No
If Yes, Notification No. based on which such deferment/exemption is being claimed:		
Entitlement Certificate Number:		
Year of Availment:		
% of amount of the total tax liability required to be paid as per the above entitlement certificate		
% of amount of the total tax liability required to be paid upfront as per the above entitlement certificate		
% of amount of the total tax liability deferred as per the above entitlement certificate		
% of amount of the total tax liability exempted as per the above entitlement certificate		
(a)Total amount of the total tax liability due for payment for the current period as per the above scheme		
(b)Total amount of the total tax liability due for payment in this return period out of the tax deferred earlier in previous period as per the above scheme		
(4)	Total amount of the total tax liability due for payment in this return period as per the above scheme(a+b)	
(i)	Opening balance of the total amount of total tax liability deferred till date as per the above scheme	
(ii)	Total tax liability paid out of the opening balance of the total amount of deferred tax in this return period	
(iii)	Total amount of the total tax liability deferred for the current period	
Total amount of the total tax liability deferred to future periods(i-ii+iii)		
(5)Net Tax Payable [6(3)](For dealers not covered under any deferment/exemption scheme)		
(6) Net Tax Payable [6(4)](For dealers covered under deferment/exemption scheme)		
(7) Amount of Input Tax Credit adjusted under section 12(2)		
(8) Amount of Input Tax Credit adjusted under section 12(3)		
(9) Excess carry forward after (7) and/or (8) above		

[Signature of authorized person]

Date:

7. Details of tax deposited

Sr. No.	Name of treasury where tax deposited or bank on which DD/Pay order/ crossed cheque drawn/RAO		Treasury receipt			For office use	
	Treasury/ Bank	Type of instrument	No.	Date	Amount	DCR No.	Date
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							
(6)							
(7)	------- (by contractee)						
(8)	Total [(1) to (7)]						

8. Account of forms printed under the Government authority/ required to be authenticated by the assessing authority.

Serial No.	Type of Form	Opening stock at the beginning of the return period	Blank form received or authenticated during the return period	Number of forms used during the return period	Aggregate of amount of transactions for which forms Used.
(1)					
(2)	ST-XXVI-A (out)				
(3)	VAT-				
(4)	C				
(5)	E-1				
(6)	E-II				
(7)	F				
(8)	H				

9. Statutory declarations and certificates received from other dealers furnished with the return

Serial No.	Type of form	No. of forms furnished	Aggregate of amount of transactions for which forms furnished	Serial No.	Type of form	No. of forms furnished	Aggregate of amount of transactions for which forms furnished
(1)	STXXVI-A (out)			(5)	E-1		
(2)	VAT-			(6)	E-II		
(3)	C			(7)	F		
(4)	D			(8)	H		

10. Computation of tax paid in respect of goods purchased in the State from registered dealers on tax invoice but which shall not to form part of input tax credit (See section 11)

Circumstances in which tax paid in respect of Purchase of certain goods not to form part of input tax credit	**Purchase Value**
(a)	**(b)**
A. All goods except mentioned as purchased from registered dealers on tax invoice when, -	
(1) used in the telecommunications network, or in the generation and distribution of electricity or other form of power;	
(2) the tax on their purchase was paid @ 4% or less but such goods are disposed of otherwise than by way of sale and	
(3) used in manufacture or packing of goods declared a tax-free under section 9 (except when such goods are sold in the course of export out of India):	
(4) left in stock, whether in the form purchased or in manufactured or processed form, on the day of closure of business or cancellation of the registration certificate	
(5) made in the circumstances specified in section 11(7)(c)	
(6) covered by section 11(7)(d) and (e)	
(7) used for the purpose specified in section 11(7) (j)	
(8) tax invoice is not available or not issued or original tax invoice issued does not show separate details of tax charged	
(9) purchased from an industrial unit after paying concessional rate of tax	
(10) covered by Schedule of Input Tax restricted Goods as provided u/s 11(8)	

(11) other purchases, tax paid in respect of which not to form part of input tax credit						
B. Total [(1) to (11)]						
C. Calculation of input tax at different rates	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	Total (c) to (g) (h)
(1) Break-up of A(b) according to tax rate						
(2) Rate of tax	%	%	%	%	% %	
(3) Input tax to be reversed [(1) x (2)]						

Note: - Where any goods purchased in the State are used or disposed of partly in the circumstances mentioned in column (a) against entries in **A** above and partly otherwise, the purchase value of such goods shall be computed pro rata.

11. Purchase tax (See section 6(1) (b) and 8)

Circumstances in which purchase tax levied		**Purchase value of goods taxable at different rates**		**Rate of tax**	**Purchase tax**
(a)		**(b)**		**(c)**	**(d)**
(1)	Turnover of goods specified in Schedule 'C' to the Act				
(2)	Turnover of taxable goods purchased in the State without payment of tax when such goods or the goods manufactured there from are either exported out of State or used or disposed of (except when sold in the course of export out of India) in a manner that no tax or CST is payable to the State	(i)			
		(ii)			
(3)	**Total (1) + (2)**				

Note: Where any goods purchased in the State are used or disposed of partly in the circumstances mentioned in column (a) against entries at serial number (2) above and partly otherwise, the purchase tax leviable on such goods shall be computed pro rata.

12. Entry Tax

Sr. No.	Goods as per Schedule-II	Value of Goods	Rate of Tax	Entry Tax Due	Entry Tax Paid with T.R. No. & Date	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			

Note: Party-wise details of goods brought into local area is attached separately along with the return

Declaration

I,_____ (name in CAPITALS), hereby, solemnly affirm that I am authorized to furnish this return and all its contents including tables 10 and 11, lists, statements, declarations, certificates and other documents appended to it or filed with it are true, correct and complete and nothing has been concealed there from.

Place:

Date:

_____

[Signature]

Status: Tick (√) application [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorized officer]

(For use in the office of the Assessing Authority)

(1) Date of data entry in VAT- register/Computer:

(2) Signature of the official making the data entry:

(Affix stamp of name & designation)

(3) Signature of the Assessing Authority with date:

---

1. Reference to sections or Schedules of the Act in the return is indicative and not comprehensive
2. A dealer who has not dealt goods in the circumstances specified in Tables 10 or 11 during the tax Period does not have to fill in the next page of the return.

ACKNOWLEDGEMENT

Received from M/s_____ TIN_____a return in **Form VAT-XV** for the month of/ quarter ending _____along with a list in Forms LS-2.

Assessing Authority/ Excise and Taxation Inspector, (when posted in circle outside District Headquarters) Circle_____District_____.

(SEAL)

Date_____ .".

Substitution of Form VAT-XV-A

3. In the said rules, for form VAT-XV-A, the following Form shall be substituted, namely :-

" Form VAT-XV-A

[See rule 40 (5) and 40-A]

RETURN FOR THE YEAR

ENDED ON: D D - M M - Y Y

1. Dealer's identity

Name and style of business	M/s		
Address		Contact No.	
Tax Payer's Identification Number		Economic Activity Code	
Permanent Account Number under Income Tax Act			
Place and circle of Income Tax Assessment:			

2. Gross turnover, deductions from gross turnover taxable turnover of sales and computation of tax (See sections 2(ze), 6 and 9 of the Act)

	(a) Description	(b) Value of goods	(c) Lists appended to the return
2A.	(1) Sale price received and receivable for goods sold during return period:		
	(2) Value of goods sent within or outside the State otherwise than by way of sale:		
2B.	**Gross turnover [(1) +(2)]**		
2C.	**Deductions from Gross Turnover [section 6(3)]**		
(1)	Sale of tax-free goods under section 9		LS-1
(2)	Sale in the course of inter-State trade or commerce		
(3)	Sale in the course of import into India		
(4)	Sale in the course of export out of India		
(5)	Sales outside the State of goods purchased outside the State		
(6)	Value of goods sent otherwise than by way of sale : -		
	(i) in the course of *inter-State* trade or commerce		
	(ii) in the course of export out the territory of India		
	(iii) to local agents (registered dealers) for sale		
(7)	Total of (1) to (6)		
2D.	**Taxable turnover of sales [2B(b)-2C(7)(b)]**		

2E.	(a) Break-up of 2D according to rate of tax	(b) Effect of return goods and (de-escalation) [LS-2]	(c) Effect of Purchases made from Exempted Unit (Less Purchase Value : Tax on Value Addition only)	(d) Net taxable turnover [(a)-{(b)+(c)}]	(e) Rate of tax	(f) Amount of Tax Paid [(d) x (e)]
(1)					%	
(2)					%	
(3)					%	
(4)					%	
(5)					%	
(6)	Total Tax Amount					

3. Purchase, import and receipt of goods and computation of amount of tax paid on purchases made in the State

3A.	(a) Description Aggregate price/ value of goods, --	(b) List Appended to return	(c) Amount	
(1)(a)	Purchased from registered dealers in the State on tax invoice	LP-1		
(1)(b)	Aggregate price/value of capital goods eligible for input tax credit			
(2)	Purchased from other dealers without tax invoice			
(3)	Purchased in the course of *inter*-State trade or commerce			
(4)	Purchased in the course of import into India			
(5)	Purchased in the course export out of India			
(6)	Imported into the State			
(7)	Purchased outside the State for sales outside			
(8)	Received for sale from dealers registered in the State			
(9)	Received for sale from dealers outside the State			
(10)	**Total [(1) to (9)]**			

3B.	(a) Break-up of 3A(1)(a) +3A(1)(b) according to rate of tax	(b) Effect of return goods and of price [LP-2]	(c) Net taxable purchases [(a)-(b)]	(d) Rate of tax	(e) Amount of Tax Paid [(c) x (d)]
(1)				%	
(2)				%	
(3)				%	
(4)				%	
(5)	Total amount of tax paid on purchases				

4. Aggregate of tax levied on sale or purchases

(1)	Tax on Sales [2E(f)]	
(2)	Purchase Tax [11(4)(d)]	
(3)	**Total tax [4(1) + 4(2)]**	

5. Computation of Input tax credit (See- section 11)

(1)	Opening Input Tax Credit on unsold stock[See Section 11(1)(i)]	
(2)	Opening Input Tax Credit on Capital Goods	
(3)	Tax Paid on purchases made in the State[3B(e)]	
(4)	Total [5(1)+5(2)+5(3)]	
(5)	Less Tax Paid, not part of input tax[10C(3)]	
(6)	Claimable Input Tax [5(4)-5(5)]	
(7)	Less Tax Paid but involved in unsold stock[See Section 11(1)(i)]	
(8)	Less Tax Paid on capital goods, to be carried forward to future periods[See Section 11(6)]	
(9)	Input Tax Credit [5(6)-5(7)-5(8)]	
(10)	Input Tax on Unsold Stock Carried Forward [5(7)]	
(11)	Input Tax on Capital Goods Carried Forward [5(8)]	

6. Tax payable or adjustable (See section 12)

(1)	Gross Tax Payable[4(3)-5(9)]	
(2)	Less: Excess paid brought forward from last return	
(3)	Tax Payable [6(1)-6(2)]	
If Covered under any Deferment/Exemption Scheme(Yes/No)		Yes/No
If Yes, Notification No. based on which such deferment/exemption is being claimed:		
Entitlement Certificate Number:		
Year of Availment:		
% of amount of the total tax liability required to be paid as per the above entitlement certificate		
% of amount of the total tax liability required to be paid upfront as per the above entitlement certificate		
% of amount of the total tax liability deferred as per the above entitlement certificate		
% of amount of the total tax liability exempted as per the above entitlement certificate		
(a)Total amount of the total tax liability due for payment for the current period as per the above scheme		
(b)Total amount of the total tax liability due for payment in this return period out of the tax deferred earlier in previous period as per the above scheme		
(4)	Total amount of the total tax liability due for payment in this return period as per the above scheme(a+b)	
(i)	Opening balance of the total amount of total tax liability deferred till date as per the above scheme	
(ii)	Total tax liability paid out of the opening balance of the total amount of deferred tax in this return period	
(iii)	Total amount of the total tax liability deferred for the current period	
Total amount of the total tax liability deferred to future periods(i-ii+iii)		
(5)Net Tax Payable [6(3)](For dealers not covered under any deferment/exemption scheme)		
(6) Net Tax Payable [6(4)](For dealers covered under deferment/exemption scheme)		
(7) Amount of Input Tax Credit adjusted under section 12(2)		
(8) Amount of Input Tax Credit adjusted under section 12(3)		
(9) Excess carry forward after (7) and/or (8) above		

Date: **[Signature of authorized person]**

7. Details of tax deposited

Sr. No.	Name of treasury where tax deposited or bank on which DD/Pay order/ crossed cheque drawn/RAO		Treasury receipt			For office use	
	Treasury/ Bank	Type of instrument	No.	Date	Amount	DCR No.	Date
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							
(8)							
(9)	------- (by contractee)						
(8)	Total [(1) to (7)]						

8. Account of forms printed under the Government authority/ required to be authenticated by the assessing authority.

Serial No.	Type of Form	Opening stock at the beginning of the return period	Blank form received or authenticated during the return period	Number of forms used during the return period	Aggregate of amount of transactions for which forms Used.
(1)					
(2)	ST-XXVI-A (out)				
(3)	VAT-C				
(4)	E-1				
(5)	E-II				
(6)	F				
(7)	H				

9. Statutory declarations and certificates received from other dealers furnished with the return

Serial No.	Type of form	No. of forms furnished	Aggregate of amount of transactions for which forms furnished		Serial No.	Type of form	No. of forms furnished	Aggregate of amount of transactions for which forms furnished
(1)	STXXVI-A (out)				(5)	E-1		
(2)	VAT-				(6)	E-II		
(3)	C				(7)	F		
(4)	D				(8)	H		

10. Computation of tax paid in respect of goods purchased in the State from registered dealers on tax invoice but which shall not to form part of input tax credit (See section 11)

Circumstances in which tax paid in respect of purchase of certain goods not to form part of input tax	Purchase Value
(a)	(b)
A. All goods except mentioned as purchased from registered dealers on tax invoice when, -	
(1) used in the telecommunications network, or in the generation and distribution of electricity or other form of power;	
(2) the tax on their purchase was paid @ 4% or less bu such goods are disposed of otherwise than by way of sale and	
(3) used in manufacture or packing of goods declared a tax-free under section 9 (except when such goods are sold in the course of export out of India):	
(4) left in stock, whether in the form purchased or in manufactured or processed form, on the day of closure of business or cancellation of the registration certificate	
(5) made in the circumstances specified in section 11(7)(c)	
(6) covered by section 11(7)(d) and (e)	
(7) used for the purpose specified in section 11(7) (j)	
(8) tax invoice is not available or not issued or original invoice issued does not show separate details of charged	
(9) purchased from an industrial unit after paying concessional rate of tax	
(10) covered by Schedule of Input Tax restricted Goods as provided u/s 11(8)	
(11) other purchases, tax paid in respect of which not to form part of input tax credit	
B. Total [(1) to (11)]	

C. Calculation of input tax at different rates	(c)	(d)	(e)	(f)		Total (c) to (g) (h)
(1) Break-up of A(b) according to tax rate						
(2) Rate of tax	%	%	%	%	%	
(3) Input tax to be reversed [(1) x (2)]						

Note: - Where any goods purchased in the State are used or disposed of partly in the circumstances mentioned in column (a) against entries in **A** above and partly otherwise, the purchase value of such goods shall be computed pro rata.

11. Purchase tax (See section 6(1) (b) and 8)

Circumstances in which purchase tax levied		**Purchase value of goods taxable at different rates**		**Rate of tax**	**Purchase tax**
(a)		**(b)**		**(c)**	**(d)**
(1)	Turnover of goods specified in Schedule 'C' to the Act				
(2)	Turnover of taxable goods purchased in the State without payment of tax when such goods or the goods manufactured there from are either exported out of State or used or disposed of (except when sold in the course of export out of India) in a manner that no tax or CST is payable to the State	(i)			
		(ii)			
(3)	**Total (1) + (2)**				

Note: Where any goods purchased in the State are used or disposed of partly in the circumstances mentioned in column (a) against entries at serial number (2) above and partly otherwise, the purchase tax leviable on such goods shall be computed pro rata.

12. Entry Tax

Sr. No.	Goods as per Schedule-II	Value of Goods	Rate of Tax	Entry Tax Due	Entry Tax Paid with T.R. No. & Date	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			
			%			

Note: Party-wise details of goods brought into local area is attached separately along with the return

Declaration

I,_____ (name in CAPITALS), hereby, solemnly affirm that I am authorized to furnish this return and all its contents including tables 10 and 11, lists, statements, declarations, certificates and other documents appended to it or filed with it are true, correct and complete and nothing has been concealed there from.

Place:

Date:

_____

[Signature]

Status: Tick (√) application [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorized officer]

(For use in the office of the Assessing Authority)

(1) Date of data entry in VAT- register/Computer:

(2) Signature of the official making the data entry: (Affix stamp of name & designation)

(3) Signature of the Assessing Authority with date:

---

1. Reference to sections or Schedules of the Act in the return is indicative and not comprehensive
2. A dealer who has not dealt goods in the circumstances specified in Tables 10 or 11 during the tax Period does not have to fill in the next page of the return.

ACKNOWLEDGEMENT

Received from M/s_____ TIN_____a return in **Form VAT-XV-A** for the month of/ quarter ending _____along with a list in Forms LS-2.

Assessing Authority/ Excise and Taxation Inspector, (when posted in circle outside District Headquarters) Circle_____ District_____.

(SEAL)

Date_____.".

By Order

Principal Secretary (E&T) to the Government of Himachal Pradesh

---

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल तकसीम भूमि

श्री सुरम चन्द पुत्र श्री कन्छू पुत्र श्री नानकू, निवासी क्योडी, मौजा वन्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 वादी।

बनाम

1. चुनी लाल 2. निक्का राम, 3. प्रकाश चन्द, 4. जगदीश चन्द, 5. मिलाप चन्द पुत्र व 6. श्रीमती कमला देवी पुत्री हंस राज, 7. श्रीमती पुरनी पुत्री, 8. रोशनी विधवा वदरी, 9. श्रीमती दुर्गी, 10. श्रीमती माडू पुत्रियां वैली पुत्र वसाखू, 11. सुरजीत सिंह, 12. उतम चन्द, 13. सुरेश चन्द पुत्र व, 14. श्रमती फुराला देवी, 15. निर्मला देवी, 16. चम्पा देवी पुत्रियां मखन पुत्र कृपा, 17. श्रीमती फूला पुत्री कृपा, 18. ओम प्रकाश पुत्र व, 19. श्रीमती सिमरो, 20. विरानी, 21 श्रीमती प्रभातो पुत्रियां श्री शेर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासीगण क्योडी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

परफोरमा रिस्पौंडैन्ट

1. भगवान दास पुत्र व 2. श्रीमती माया देवी, 3. गायत्री देवी, 4. कृष्ना देवी 5. श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्रियां, 6. श्रीमती भुखरू विधवा कण्डू, निवासीगण क्योडी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित भूमि की मिसल तकसीम भूमि अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादी नं0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 व 21 को इस अदालत से बार–बार समन जारी किए गए। हर बार समन बिना तामील के प्राप्त हुए हैं और न ही उनका सही पता उपलब्ध हो रहा है। इसलिए अदालत को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः इस अखबारी इश्तहार के माध्यम से उक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त से सम्बन्धित मिसल तकसीम बारे अपनी पैरवी करने हेतु दिनांक 20–4–2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना पक्ष / एतराज पेश कर सकता है। गैर–हाजरी की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22–3–2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री तिलक राज पुत्र श्री चुहडू राम, निवासी व डाकघर दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री तिलक राज पुत्र श्री चुहडू राम, निवासी व डाकघर दरगेला, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे लड़के लक्की सिंह का जन्म दिनांक 14–4–1994 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20–4–2012 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित